4763

पत्रांक/ /आयु0क0उत्तरा0/वाणि0क0/विधि–अनुभाग /12–13/देहरादून।

कार्यालय आयुक्त कर,उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)
दिनाक:::देहरादून:::) | फरवरी,2013

विज्ञप्ति

(उत्तराखण्ड वैट अधिनियम, 2005 की धारा 25(4) सपठित धारा 25(3) के अन्तर्गत करनिर्धारण वर्ष 2010–11 के सम्बन्ध में स्क्रूटनी (जांच) हेतु तथा स्क्रूटनी के उपरान्त धारा (25(6)/25(7) के अन्तर्गत करनिर्धारण हेतु, पंजीकृत व्यापारियों के Selection (चयन) की रीति का निर्धारण)

(क) निम्न व्यापारियों को छोड़कर शेष सभी को, उनके द्वारा धारा 25(2) के प्रावधानों के अनुसार दाखिल की गयी वार्षिक विवरणी के आधार पर, धारा 25(3) के अन्तर्गत Deemed Assessed मान लिया जायेगा।–

(1) ऐसे वर्क कॉन्ट्रेक्टर्स, जिनके द्वारा धारा 7(2) में समाधान योजना नहीं अपनायी गयी है।

(देखें धारा 25(3) एवं 7(2))

(2) ऐसे व्यापारी, जिनके द्वारा वार्षिक विवरणी विहित समय में दाखिल न की गयी हो, अथवा विलम्ब से दाखिल करने की दशा में, विलम्ब शुल्क के प्रमाण सहित दाखिल न की गयी हो।

(देखें धारा 25(3) एवं 25(2))

(3) ऐसे व्यापारी, जिनके द्वारा दिनांक 30 जून,2012 तक वार्षिक विवरणी दाखिल न की गयी हो।

(देखें धारा 25(3) एवं 25(2))

(4) उक्त के अतिरिक्त सभी व्यापारियों को, वार्षिक रूपपत्र के आधार पर, Deemed Assessed मान लिया जायेगा। वार्षिक रूपपत्र ही उनका Deemed Assessement Order माना जायेगा तथा Date of order वह तारीख मानी जायेगी जो वार्षिक विवरणी दाखिल करने हेतु निर्धारित अन्तिम तारीख हो अथवा वह तारीख, जिसमें ऐसी वार्षिक विवरणी, विहित विलम्ब शुल्क, यदि कोई हो, के साथ दाखिल की गयी हो, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो।

(देखें धारा 25(3), 25(5)(क) एवं 25(5)(ख))

(ख) धारा 25(3) के अधीन Deemed Assessed समझे गये व्यापारियों में से स्क्रूटनी हेतु व्यापारियों के Selection की रीति–

ऐसे शत प्रतिशत व्यापारी, जो उक्त बिन्दु क(4) के अनुसार Deemed Assessed समझे गये हों, के रूपपत्रों की विस्तृत स्क्रूटनी, संबधित करनिर्धारण अधिकारियों द्वारा की जायेगी। यह कार्य कार्यालय में किया जायेगा और इस हेतु व्यापारियों को नहीं बुलाया जायेगा।

(ग) स्क्रूटनी के उपरान्त धारा 25(6)/25(7) के अन्तर्गत कर निर्धारण हेतु व्यापारियों के Selection की रीति–

Deemed Assessed समझे गये व्यापारियों की स्क्रूटनी के उपरान्त, किसी व्यापारी के मामले में, निम्न में से एक तथ्य अथवा एक से अधिक तथ्य पाये जाने पर, उस व्यापारी को धारा 25(6)/25(7) के अन्तर्गत करनिर्धारण हेतु Select कर लिया जायेगा।

(1) व्यापारी द्वारा किसी टर्नओवर अथवा उसके भाग को स्व करनिर्धारित करने से छोड़ दिया गया हो।

(2) व्यापारी द्वारा किसी टर्नओवर अथवा उसके भाग Under assess किया गया हो।

(3) व्यापारी द्वारा किसी वस्तु पर निर्धारित दर की अपेक्षा निम्न दर से कर का स्वनिर्धारण/स्व आंकलन किया गया हों

(4) व्यापारी द्वारा exemption, deduction अथवा rebate का कोई गलत लाभ दिया गया हो, अथवा समाधान राशि का लाभ, प्रावधानों के विरूद्व लिया गया हो।

(5) व्यापारी द्वारा टैक्स क्रेडिट अथवा टी0डी0एस0 का कोई लाभ प्राविधानों के विरूद्व लिया गया हो।

(6) व्यापारी के विरूद्व वि0अनु0शा0, चैक पोस्ट अथवा सचल दल से ऐसी रिपोर्ट अथवा सूचना प्राप्त हुई हो, जो करनिर्धारण अधिकारी के अनुसार प्रतिकूल हो और धारा 25(6)/25(7) में करनिर्धारण करने पर अतिरिक्त मांग निकाले जाने की सम्भावना हो।

(7) व्यापारी के सम्बन्ध में ऐसी सूचना प्राप्त हो, जिसका मिलान दाखिल रूपपत्रों तथा उसके साथ दाखिल अनुलग्नकों से न होता और धारा 25(6)/25(7) में करनिर्धारण करने पर अतिरिक्त मांग निकाले जाने की सम्भावना हो।

(8) व्यापारी आयरन एवं स्टील,सीमेंट अथवा खाद्य तेल का टेंडर हो, और उसके द्वारा रूपयें पांच लाख से अधिक की, इन वस्तुओं की खरीद पंजीकृत व्यापारियों से प्रदर्शित करते हुये आई0टी0सी का लाभ लिया गया हो अथवा इन वस्तुओं की रूपये पॉच लाख से अधिक की बिक्री पंजीकृत व्यापारियों को प्रदर्शित की गयी हो जिसके आधार पर क्रेता पंजीकृत व्यापारी आई0टी0सी0 का लाभ दे सकता हो।

(9) व्यापारी (प्लाईवुड और प्लाईबोर्ड को छोड़कर), जिनके द्वारा फार्म–XI के विरूद्व प्रान्त से टिम्बर का क्रय किया गया हो अथवा प्रान्त बाहर से टिम्बर का आयात किया गया हो, और ऐसी टिम्बर से बने ऐसे टिम्बर प्रोडक्ट्स की बिक्री की गयी हो जिस पर सामान्य कर की दर, शून्य हो अथवा टिम्बर की सामान्य कर की दर से कम हो।

(10) ऐसे व्यापारी, जिनके द्वारा, अपनी किसी भी यूनिट में, व्यापार कर अधिनियम की धारा 4(क)(सपठित वैट अधिनियम की धारा 76 व 80) के अन्तर्गत करमुक्ति/ कर की दर में रियायत अथवा Tax Holiday का लाभ लिया गया हो।

(11) ऐसे व्यापारी, जिनके द्वारा आई0टी0सी0 के कारण रिफण्ड का क्लेम किया गया हो।

नोटः

(1) क्रम संख्या 01 से 07 पर अंकित आधार के निर्धारण के पीछे यह सिद्वान्त निहित है कि ऐसे मामलों में जहॉ स्व निर्धारित/स्व आंकलित कर को वास्तविक देय कर से कम प्रदर्शित किया गया हो उनमें, अभिलेखों की जांच करके एवं व्यापारी को उसका पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देकर देय कर/देय समाधान राशि के रूप में अतिरिक्त राजस्व प्राप्त/ वसूल किया जा सके। बिन्द 08 से 11 पर अंकित आधार के पीछे यह सिद्वान्त निहित है कि देय कर सुरक्षित रहे और देय कर के अपवंचन की सम्भावना न रहें।

(2) उक्त रीति से Selection करते हुए जिन मामलों में धारा 25(6)/25(7) के अन्तर्गत कर निर्धारण किया जायेगा, उनमें से कितने मामलों में अतिरिक्त मांग निकाली/जमा करायी गयी–इसके आंकड़ें सम्बन्धित कर निर्धारण की गुणवत्ता की आंकलित करने हेतु एक आधार माना जायेगा।

(घ) प्रक्रिया–

(1) धारा 25(1) के अनुसार सभी व्यापारियों का Assessement /Deemed

Assessed होगा। सभी वाद पूर्वनिर्धारित प्रक्रिया के अनुसार R-5(a) एवं R-5(b) में दर्ज किये जायेंगे। जो वाद स्क्रूटनी के उपरान्त Deemed Assessed माने जायेंगे उनके संबध में भी वांछित आंकड़े R-5(a) एवं R-5(b) में दर्ज किये जायेंगे साथ ही एक रिमार्क कॉलम खोलकर उसके आगे Deemed Assessed लिखा जायेगा, तथा निर्धारित टर्नओवर और निर्धारित कर के कॉलम में स्व निर्धारित टर्नओवर व स्व निर्धारित कर को अंकित किया जायेगा एवं कर निर्धारण आदेश के दिनांक व स्थान पर Date of Deemed Assessement Order, अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार, अंकित किया जायेगा।

(2) R-5(a) एवं R-5(b) में एक अतिरिक्त कॉलम खोलकर उसमें इस परिपत्र संबधित, वाद की श्रेणी का उल्लेख किया जायेगा यथा क–1,क–2 क–3, क–4 अथवा ग–1, ग–2 से ग–11।

(3) Deemed Assessement के संबध में आर्डर शीट पर, अन्य वादों की भांति दिनांक सहित समुचित इन्द्राज अंकित किया जायेगा

(सौजन्या)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

4763

पृ0प0सं0 /दिनॉक उक्त।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव,वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. महालेखाकार,उत्तराखंड वैभव पैलेस इन्द्रानगर,देहरादून।
3. अध्यक्ष/सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण देहरादून/हल्द्वानी।
4. सलाहकार कर, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
5. एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर,गढ़वाल जोन देहरादून/कुमायूँ जोन,रूद्रपुर।
6. एडिशनल कमिश्नर(आडिट/प्रवर्तन)वाणिज्य कर,मुख्यालय देहरादून।
7. **समस्त ज्वाइंट कमिश्नर(कार्यपालक)वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/ हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों /व्यापारी संगठनो के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।**
8. ज्वाइंट कमिश्नर(अपील)वाणिज्य कर,देहरादून/हल्द्वानी।
9. **ज्वाइंट कमिश्नर(वि0अनु0शा0/प्रवर्तन)वाणिज्य कर,हरिद्वार/रूद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।**
10. श्री रोशन लाल, डिप्टी कमिश्नर(क0नि0)–3, वाणिज्य कर, देहरादून एवं Web-information officer को NIC एवं विभागीय website पर update करने हेतु।
11. निदेशक,मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड रूड़की को आगामी राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ
12. कम्प्यूटर अनुभागको इस निर्देश के साथ कि उक्त अधिसूचना स्कैन कर व्यापार. प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को ई–मेल द्वारा प्रेषित कर दें।
13. इन्टावैट ईन्फो प्रा0लि0 4, फेयरी मेनर द्वितीय फ्लोर 13,आर0सिधुआ मार्ग मुम्बई–400001।
14. नेशनल लॉ हाउस बी–2 मॉडर्न प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड,गाजियाबाद।
15. नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस–15/5 राजनगर गाजियाबाद।
16. डिप्टी कमिश्नर(उच्च न्याय0कार्य0)वाणिज्य कर,नैनीताल।
17. स्वास्तिक पब्लिकेशन एसई–233,शास्त्री नगर,गाजियाबाद,–201002

पेज–4

18.लॉ बुक ट्रेडर्स 10 नगर निगम कम्पाउण्ड केसर गंज रोड,मेरठ ।
19.अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड सत्या इण्डस्ट्रीज, मोहब्बेवाला औद्योगिक क्षेत्र देहरादून।
20. प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल कार्यालय क्वालिटी हार्डवेयर गॉधी रोड,देहरादून।
21. दून उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल नागलिया आटोमो0 त्यागी देहरादून।
22 प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल समिति, उत्तराखण्ड प्रदेश कार्यालय दीवान
23 ट्रेडिंग कम्पनी, 81, मोती बाजार, देहरादून।
24.दी होलसेल डीलर्स एसो0 14,आढ़त बाजार देहरादून।
25 प्रांतीय इण्डस्ट्रीज एसों0 222/5 गॉधी ग्राम,देहरादून।
26.कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाइल हेतु।
27.विधि–अनुभाग/सुख साधन–कर की गार्ड फाइल हेतु।
28.शोध–अनुभाग/स्थापना अनुभाग मुख्यालय हेतु।
29. समस्त अनुभाग अधिकारी/अनुभाग।

आयुक्त/कर,
उत्तराखण्ड।